राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.9(1) शिक्षा–5/2010पार्ट जयपुर, दिनांक 11-11-2013

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर, राजस्थान।

विषयः–आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2013–14 में निःशुल्क प्रवेशित बालकों की फीस के पुनर्भरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2013–14 के लिए आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2013–14 में निःशुल्क प्रवेशित बालकों की फीस के पुनर्भरण के लिए वेब पोर्टल (dee.raj.nic.in) पर सत्यापन के पश्चात् विद्यालयों द्वारा प्रविष्टि की जा रही है। वेब पोर्टल पर दर्ज सत्र 2012–13 की तुलना में सत्र 2013–14 में विद्यालयों द्वारा प्रतिवर्ष बालकों से वसूल की गई फीस में अप्रत्याशित वृद्धि सामने आयी है। यह वृद्धि राज सरकार द्वारा फीस वृद्धि ओदश कमांक प.8(17)शिक्षा–5/2004पार्ट II जयपुर दिनांक 1.6.2009 के अनुसार नहीं है। इस स्थिति का राज्य सरकार स्तर पर परीक्षण कर निम्न निर्देश तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित करने हेतु प्रसारित किये जाते हैः–

1. सत्र 2013–14 में गैर सरकारी विद्यालयों को, सत्यापन करने के उपरान्त सही पाये गये बालकों की फीस का पुनर्भरण, सत्र 2012–13 में विद्यालय को पुनर्भरण की गई प्रति बालक फीस के आधार पर करने की कार्यवाही की जाए। परन्तु, जिन विद्यालयों की वर्ष 2012–13 में सत्यापित फीस रूपये 9748/– से अधिक थी और शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार के प्रति बालक व्यय तक अर्थात् रूपये 9748/– तक सीमित कर दिया था उन्हें वर्ष 2013–14 में पुनर्भरण वर्ष 2012–13 की सत्यापित फीस के अनुसार होगा बशर्ते कि वह राशि रूपये 11704/– अथवा उससे कम हो।
2. जिन विद्यालयों की सत्र 2012–13 की सत्यापित फीस राज्य सरकार द्वारा 2013–14 की निर्धारित फीस रूपये 11,704/– से अधिक है, को पुनर्भरण वर्ष 2013–14 सत्र के लिए रूपये 11,704/– की दर से किया जावेगा।
3. जिन गैर सरकारी विद्यालयों ने सत्र 2013–14 में प्रथम बार अधिनियम के अन्तर्गत बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिया है, उनका पुनर्भरण सत्यापन दल द्वारा विद्यालय की 2012–13 की सत्यापित प्रति बालक फीस अथवा 2013–14 की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रति बालक फीस, जो भी कम हो, के आधार पर किया जायेगा।
4. जिन विद्यालयों ने 2012–13 की तुलना में सत्र 2013–14 में फीस वृद्धि की है वे फीस वृद्धि के अपने प्रस्ताव आदेश कमांक प.8(17) शिक्षा–5/2004 पार्ट –II जयपुर, दिनांक 1.6.2009 के अनुसार तैयार कर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगें। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी राज्य सरकार के संदर्भित आदेश के आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण करेंगे तथा फीस वृद्धि उचित पायी जाने पर अनुमोदन करेगें।
5. उपरोक्त बिन्दु सं0 4 में वर्णित कार्यवाही के द्वारा अनुमोदित फीस के आधार पर पुनर्भरण राशि के एरियर के प्रस्ताव तैयार किये जाकर भुगतान की कार्यवही निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा करवाई जाएगी। **यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फीस वृद्धि के प्रस्तावों पर निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना बिन्दु सं. 1, 2 व 3 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार तत्काल पुर्नभुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। यदि किसी विद्यालय के लिए एरियर के भुगतान की स्थिति आती है तो उसके भुगतान की कार्यवाही पृथक से करें।**

उक्त निर्देशों की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/यूनिट कॉस्ट/18882/13–14/76 दिनांक–13.11.13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.................................।
8. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.)........................ को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कर आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर